जल स्वावलंबन
मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान

राज्य जल नीति में जल प्रबन्धन हेतु राज्य विधानसभा, जिला परिषद् और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से लेकर ग्राम पंचायतों तक की भूमिका सुनिश्चित की गई है। राज्य जल नीति में एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन को राज्य में जल समस्या के समाधान के रूप में देखा गया है। विभिन्न विभागों, संस्थाओं एवं जन समुदाय के एकीकृत प्रयास से ही स्थायी जल प्रबन्धन संभव है। प्रारम्भ में किन्हीं बड़े सुधारों की आवश्यकता नहीं है अपितु आसानी से कार्यान्वित हो सकने वाला पहला कदम ही परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकता है।

राजस्थान जल संरक्षण मिशन के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि सभी संसाधनों को अभिसारित कर जल सरंक्षण एवं जल भराव सरंचनाओं की गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। यदि सभी विभागों (केन्द्र एवं राज्य), कॉरपोरेट घरानों, ट्रस्टों, गैर सरकारी संगठनों एवं जन सहयोग को सम्मिलित करते हुए जल संग्रहण एवं सरंक्षण संबंधी आयोजना करके प्रभावी प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन किया जा सकता है। जल संरक्षण एवं संग्रहण की एकीकृत आयोजना से समस्त वित्तीय संसाधनों को एकत्रित कर राजस्थान जल सरंक्षण मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकेगी।

जन सहभागिता के बिना जल संरक्षण एवं संग्रहण जैसे कार्य सफल नहीं हो सकते हैं। जन सहभागिता के लिए अभियान के रूप में प्रचार–प्रसार कर जन जागृति किया जाना आवश्यक है। जन जागृति के साथ–साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों का आमुखीकरण अति आवश्यक है। इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी हितगामियों को विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी हो। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु प्राकृतिक संसाधनों का असीमित दोहन किया जा रहा है। भूमि अविक्रमण और जल स्तर में कमी आने के साथ–साथ प्राकृतिक संसाधनों पर निरंतर बढ़ रहे दबाव के परिणामस्वरूप खाद्यान्न, सामाजिक, आर्थिक, आजीविका और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति गम्भीर चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। ग्रामीण समुदायों को सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिकार– सम्पन्न बनाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से भूमि और जल के संरक्षण के लिए सहभागी जल संरक्षण की संभावना को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।

अनियमित वर्षा के कारण वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसल उत्पादन में अनिश्चितता रहती है। अत्यधिक भू–जल दोहन के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में जल स्तर प्रतिवर्ष गिर रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबन्धन नहीं होने के कारण राज्य का अधिकांश क्षेत्र प्रति वर्ष अकाल की चपेट में आता है। जिससे विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल तथा पशु चारे की समस्या रहती है। पेयजल एवं पशुओं के लिए चारे आदि की व्यवस्था पर सरकार को बहुत अधिक राशि व्यय करनी पड़ती है एवं इससे सतत् विकास प्रभावित होता है। उपरोक्त स्थितियों से निपटने के लिए ''जल स्वावलंबन'' 27 जनवरी 2016 को प्रारम्भ किया है जिसके प्रथम चरण की शुरूआत राज्य के 3529 गाँवों में की गई है। राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुधंरा राजे द्वारा अभियान का शुभारम्भ झालावाड़ जिले के 'गर्दन खेड़ी' ग्राम में किया गया।

राजस्थान राज्य जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र होकर सतही जल उपलब्धता अपेक्षाकृत अत्यंत न्यून है। भू–जल उपलब्धता परिदृश्य भी चिन्ताजनक होकर 90 प्रतिशत से अधिक ब्लॉक सुरक्षित श्रेणी में नहीं है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी है। ग्रीष्म काल में स्थितियाँ अत्यन्त विषम हो जाती है। प्रायः दुर्भिक्ष की विभीषिका का सामना करना पड़ता है (सारणी 1)। इससे राज्य का ग्रामीण क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम स्तर पर न्यूनतम जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के रूप में एक अनूठी पहल की गयी है। इसके अन्तर्गत स्थानीय/ग्राम स्तर पर उपलब्ध जल संसाधन के संरक्षण, संग्रहण एवं संर्वधन हेतु आयोजना पूर्वक समन्वित प्रयास कर न्यूनतम जल उपलब्धता की दृष्टि से ग्रामों को स्वावलम्बी बनाने का लक्ष्य है। अभियान के क्रियान्वयन के संदर्भ में फोर वाटर्स कॉन्सेप्ट (चार जल संकल्पना)की अति महत्वपूर्ण भूमिका प्रतिपादित की गई है।

सारणी 1 राजस्थान में 1901–02 से 2009–10 तक वर्षा की स्थिति

क्र.स.	सामान्यत से विचलन	वर्षो की संख्या
1	सामान्य से विचलन	1
2	अत्यधिक वर्षा (+60 प्रतिशत एवं अधिक)	15
3	अधिक वर्षा (+21 से + 59 प्रतिशत)	65
4	सामान्य वर्षा (–21 से –59 प्रतिशत)	28
5	नगण्य वर्षा (–60 प्रतिशत एवं कम)	0
	कुल	109

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के सुचारू क्रियान्वयन एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न स्तरों पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य जल स्वावलम्बन अभियान का गठन किया गया हैं। मिशन के सुचारू कियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में राज्य निर्देशन समिति, मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे जल स्वावलम्बन टास्क फोर्स, जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा समिति, जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी एवं उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय कमेटी का गठन किया गया हैं।

राज्य निर्देशन समिति

राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण के चैयरमेन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निर्देशन समिति का गठन किया गया हैं ।

राज्य निर्देशन समिति के कार्य

1. "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" के समस्त 7 उद्देश्यों को कियान्वित करना।

2. नीति निर्धारण के संबंध में सलाह देना।
3. मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु रणनीति तैयार करना।
4. ग्राम कार्य योजना तैयार करने हेतु सलाह देना।
5. विभिन्न केन्द्र एवं राज्य वित्त पोषित योजनाओं की प्रचलित मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर चयनित क्षेत्रों में राशि का अभिसरण सुनिश्चित करवाना।
6. मिशन के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रबोधन एवं समीक्षा करना। मिशन के प्रभावी कियान्वयन हेतु समय–समय पर जिला स्तरीय समीक्षा बैठकें आयोजित करना।
7. कियान्वयन में आने वाली समस्याओं का निराकरण करना।
8. जल संरक्षण एवं जल संग्रहण कार्यों हेतु कॉर्पोरेट जगत एवं गैर सरकारी संस्थाओं के संसाधनों को उपयोग में लेने हेतु प्लान तैयार करना।
9. मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न विभागों में समन्वय सुनिश्चित करना।
10. समुचित गतिविधियों एवं कार्यों के त्वरित सम्पादन हेतु जिला कलेक्टर के साथ समन्वय स्थापित करना।
11. कार्यों के मूल्यांकन हेतु स्वतन्त्र एजेन्सी की व्यवस्था करना (यदि आवश्यक हो तो)।
राज्य में नदी बेसिन आधार पर जल संसाधनों को विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण गठित किया गया हैं।

जल स्वावलम्बन अभियान टास्क फोर्स

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में जल स्वावलम्बन अभियान टास्क फोर्स का गठन किया गया हैं। टास्क फोर्स द्वारा "जल स्वावलम्बन अभियान" की कार्य योजना, विभिन्न विभागों के कार्यों में अभिसरण एवं कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

टास्क फोर्स के कार्य

1. मिशन के प्रभावी कियान्वयन हेतु आने वाली कठिनाइयों का निराकरण करना।
2. मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न विभागों में समन्वय सुनिश्चित करना।
3.विभिन्न केन्द्र एवं राज्य वित्त पोषित योजनाओं की प्रचलित मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर चयनित क्षेत्रों में राशि का अभिसरण सुनिश्चित करवाना।

जिला प्रभारी मंत्री स्तर पर कार्यो की समीक्षा

जिले के प्रभारी मंत्री मिशन की नियमित समीक्षा करेंगें। इस हेतु संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया गया हैं।

जिला प्रभारी स्तर पर गठित समीक्षा समिति के कार्य :

1 मिशन के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रबोधन एवं समीक्षा करना।
2 मिशन के कार्यों के सम्पादन हेतु विभिन्न माध्यमों से जनजागरूकता उत्पन्न करना एवं जन सहभागिता से अधिकाधिक निधियाँ प्राप्त करना।
3 जल संरक्षण एवं जल संग्रहण कार्यों हेतु निधियों की उपलब्धता एवं इसके उपयोग की समीक्षा करना।
4 विभिन्न केन्द्र एवं राज्य वित्त पोषित योजनाओं की प्रचलित मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप

चयनित क्षेत्रों में राशि के अभिसरण में आ रही कठिनाइयों का निवारण करना।
5 स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय कर कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करना।
प्रभारी सचिव इस कार्यक्रम के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रभारी मंत्री का सहयोग करेंगे।

जिला स्तरीय समिति

जिला स्तर पर "जल स्वावलम्बन अभियान" की कार्य योजना के कियान्वयन, विभिन्न विभागों के कार्यों का अभिसरण करवाकर कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया हैं। वाँछित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विशेषज्ञों को मनोनीत करने का अधिकार जिला कलक्टर को होगा।

जिन जिलों में वन विभाग का कलस्टर/वन विभाग की जलग्रहण परियोजनाएँ स्वीकृत हैं, उनके परियोजना के उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक परियोजना आमंत्रित सदस्य होंगे।

समिति के कार्य

1. मिशन के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रबोधन एवं समीक्षा करना।
2. राज्य निर्देशन समिति एवं टास्क फोर्स को प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।
3. जल संरक्षण एवं जल संग्रहण कार्यों हेतु कॉर्पोरेट जगत एवं गैर सरकारी संस्थाओं के संसाधनों के उपयोग हेतु व्यवस्था करना।
4. विभिन्न केन्द्र एवं राज्य वित्त पोषित योजनाओं की प्रचलित मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर चयनित क्षेत्रों में राशि का अभिसरण सुनिश्चित करवाना।
5. जिला कार्य योजना से मिशन के लिये उपलब्ध राशि में से कार्य स्वीकृत करना।

ब्लॉक स्तरीय समिति

ब्लॉक स्तर पर उप खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया हैं।

गाँवों की वरीयता सूची तैयार करना

- जिन गाँवों में आईडब्ल्यूएमपी/अन्य जलग्रहण योजना यथा "फोर वाटर कन्सेप्ट" आदि स्वीकृत हैं।
- जिन गाँवों में पेयजल पीने योग्य नहीं हैं अथवा उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक हैं।
- जिन गाँवों में विगत 5 वर्षों में टेंकरों द्वारा पेयजल आपूर्ति की गई हो।
- जिन गाँवों को विगत 5 वर्षों में अकालग्रस्त/अभावग्रस्त घोषित किया गया हो।
- जिन गाँवों में कृषि का 70 प्रतिशत क्षेत्र बारानी हो।
- मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक एवं अन्य योजनाओं में सम्मिलित आदर्श गाँव।
- जो गाँव वन विभाग में स्वीकृत कलस्टर अंतर्गत हो।
- जो गाँव इस योजना में भागीदारी/हिस्सा देने के लिए इच्छुक हो।

उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामों की प्राथमिकता तय की जाती है।

न्यूनतम जल उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिकताएँ निम्नानुसार प्रतिपादित की गई है:—

1. (क) मानव हेतु उपयुक्त एवं सुरक्षित पेय जल उपलब्धता।
   (ख) पशु–पक्षियों हेतु वाँछित जल उपलब्धता।
   (ग) मानव के दैनिक उपयोगार्थ जल उपलब्धता।
2. अकाल की विभीषिका के प्रभावों को कम करने के संदर्भ में, अल्पवृष्टि तथा असमयवृष्टि की स्थिति में खरीफ की फसल को बचाने हेतु और सिंचाई हेतु वांछित न्यूनतम जल उपलब्धता।
3. क्षेत्र में रबी सिंचाई हेतु जल उपलब्धता।

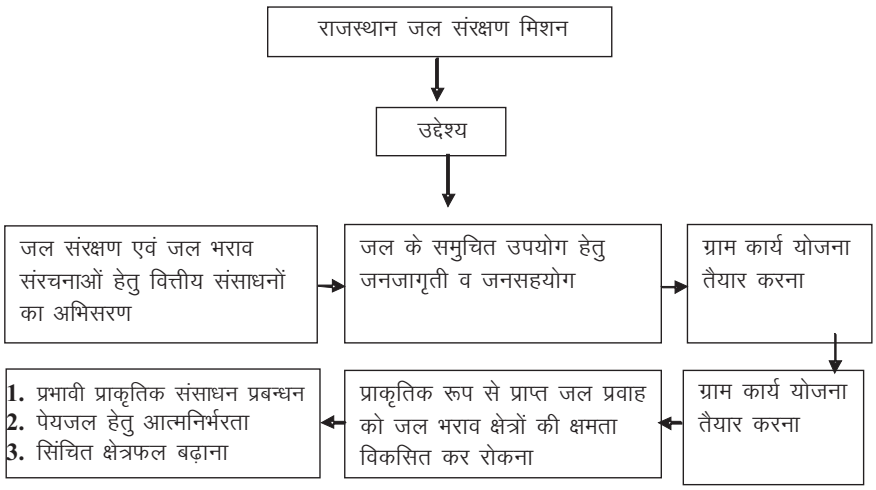

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के मुख्य उद्देश्य

■ राज्य में प्राप्त विभिन्न वित्तीय संसाधनों (केन्द्रीय, राज्य, कॉर्पोरेट जगत एवं ट्रस्टों, गैर सरकारी संगठन एवं जन सहयोग) का सहयोग लेकर जल संरक्षण एवं जल भराव संरचनाओं की गतिविधियों का प्रभावी कियान्वयन करना।

■ ग्रामीणों एवं लाभान्वितों की जल के समुचित उपयोग के बारे में जाग्रत कर जनसहभागिता से कार्य सम्पादित कराना।

■ ग्राम स्तर पर ग्रामसभा में जल की समग्र आवश्यकता यथा पेयजल, सिंचाई, पशुधन व अन्य व्यावसायिक कार्यों हेतु आंकलन कर उपलब्ध समस्त स्रोतों से प्राप्त जल के अनुरूप जल बजट का निर्माण कर उसी के अनुरूप कार्यों का चिह्नीकरण कर प्रस्ताव पारित कर मिशन की ग्राम कार्य योजना तैयार करना।

■ ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से प्राप्त जल प्रवाह (वर्षा जल, सतही जल, भूगर्भीय जल एवं मिट्टी की नमी) को जल भराव क्षेत्रों की क्षमता को विकसित कर रोकना जिसमें जिले में उपलब्ध जल संग्रहण ढाँचों का उपयोग, अनुपयोगी जल ढाँचों का पुनरूद्धार/कायाकल्प कर कियाशील करना एवं नए जल संग्रहण ढाँचों का निर्माण करना।

■ जलग्रहण क्षेत्र/कलस्टर को इकाई मानते हुए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कर जल, जंगल, जमीन, जन एवं जानवर का विकास करना।

■ ग्राम को जल आत्मनिर्भर बनाकर पेयजल का स्थायी समाधान करना।

■ क्षेत्रों में जल संग्रहण एवं संरक्षण कर सिंचाई क्षेत्रफल को बढ़ाना।

अभियान कियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु कई तरह की गतिविधियाँ संपादित की जाएँगी, जिनके अंतर्गत मुख्यतः नियमित रुप से समीक्षा, ऑनलाईन मॉनिटरिंग व्यवस्था, प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना, ग्राम कार्य योजना तैयार करना, गाँवों का चयन करना, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित करना, गैर सरकारी संस्थाओं एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करना, विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएँ आयोजित करना, जन प्रतिनिधियों एवं अन्य फील्ड कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाएँ आयोजित करना, ग्राम कार्य योजना का ग्राम सभा से अनुमोदन कराना, कार्य संपादन हेतु मेन्यूअल तैयार करना, कार्य के तकमीनें तैयार कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करना, निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यादेश जारी करना, संपादित कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करवाना एवं मानसून पश्चात् कार्यों के अंतिम परिणामों का अध्ययन करना आदि गतिविधियाँ सम्मिलित है।

अभियान का कार्य क्षेत्र

राजकीय विभाग, स्वयंसेवी संस्थान, जनसहभागिता, नॉन रेजिडेन्ट विलेजर्स क्लब इत्यादि के अंतर्गत प्राप्त/उपलब्ध निधियों से जल संग्रहण एवं संरक्षण के कार्य सम्पादित कर राज्य के गाँवों को सूखा मुक्त किये जाने हेतु प्रत्येक जलग्रहण क्षेत्रवार वाटर बजटिंग कर जल का स्थायी समाधान किये जाने हेतु राज्य में गाँवों को वरीयता के आधार पर चिन्हित किया जाएगा एवं आगामी वर्षो (2016–17 से प्रारम्भ कर) में यथासंभव प्रति वर्ष 6,000 गाँवों को उक्त मिशन में सम्मिलित करते हुए राज्य के लगभग 21,000 गाँवों को उक्त मिशन में लाभान्वित कर जल की आवश्यकता की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाकर स्थायी समाधान किया जाएगा और शेष गाँवों में चरणबद्ध रूप से प्राथमिकता क्रम अनुसार कार्य करवाए जाएंगे।

कार्य अवधि

■ ''मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान'' की कार्य अवधि 4 वर्ष रहेगी।
■ प्रत्येक वर्ष की कार्य योजना में स्वीकृत कार्य एक वर्ष में ही पूर्ण करने का लक्ष्य है। प्रयास यह रहे कि 30 जून तक कार्य पूर्ण करा लिए जाए जिससे कि जल संरक्षण कार्यों के परिणाम उसी वर्ष परिलक्षित हो सकें। केवल विशेष परिस्थिति में ही जिला समिति की स्वीकृति पर आगामी वर्ष में कार्य पूर्ण किया जा सकेगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम– मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान से वाँछित परिणाम प्राप्त करने हेतु क्षमता निर्माण एक महत्वपूर्ण संघटक है। इसी उद्देश्य से एक दिवसीय दक्ष प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उपरोक्त दक्ष प्रशिक्षक जिला स्तर पर प्रशिक्षको का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए प्रशिक्षकों का दल तैयार करेंगे।

अभियान अंतर्गत लिये जाने वाले कार्य

1. जलग्रहण क्षेत्र उपचार : डीप कन्टीन्यूअस कन्टूर ट्रेन्चेज, कन्टीन्यूअस कन्टूर ट्रेन्चेज,

फार्म पोण्ड्स्, मिनी परकोलेशन टैंक, संकन गली पिट, मिट्टी के बण्ड मय स्टोन पिंचिंग, खड़ीन, जोहड़, टाँका निर्माण, वाटर हार्वेस्टींग स्ट्रक्चर, गैबियन, कम्पार्टमेन्ट/कन्टूर/फील्ड बण्ड इत्यादि।
2. नाला उपचार : श्रृंखलाबद्ध छोटे–छोटे एनिकट, मिट्टी के चैकडेम, जल संग्रहण ढांचे, मिनी परकोलेशन टैंक, संकन गली पिट और माईनर ईरिगेशन टैंक इत्यादि।
3. लघु सिंचाई योजना के कार्यो की मरम्मत, नवीनीकरण, सुदृढीकरण कार्य, क्षेत्र में निर्मित बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के सिंचाई क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने के कार्य एवं जल स्रोतों /संरचनाओं को नालों से जोड़ने का कार्य।
4. जल संग्रहण ढाँचों की क्षमता बढ़ाना : मरम्मत एवं पुनरोद्धार/जीर्णोद्धार, कायाकल्प कर क्रियाशील करना, नालों से मिट्टी निकालकर गहरा एवं आवश्यकतानुरूप चौड़ा करना, नाला स्थिरीकरण।
5. पेयजल स्रोतों को सृदृढ़ीकरण करने के कार्य, कुएँ एवं ट्यूबवैलों तथा कृत्रिम भू–जल पुर्नभरण संरचनाओं के पुर्नजलभरण का कार्य।
6. चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण।
7. कृषि क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि हेतु फसल एवं उद्यानिकी की उन्नत विधियों (ड्रिप, सोलर पंप आदि) को बढावा देकर फसल चक्र में व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देना। रबी, खरीफ एवं जायद फसलों को अधिकाधिक लेने के प्रयास करना ।

परियोजना क्रियान्वयन ऐजेन्सी

कृषि विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, वन विभाग, जल संसाधन विभाग, महात्मा गाँधी नरेगा योजना, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राष्ट्रीय कृषि बागवानी मिशन, स्वयंसेवी संस्थाएँ, सहकारी संस्थाएँ, जल एवं स्वच्छता समिति, ग्राम विकास मण्डल (रजिस्टर्ड संस्थाएँ), भू–जल विभाग, जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत विभाग/संस्था/संस्थान/विशेषज्ञ।

सफलता के सूचकांक

मिशन के अंतर्गत कियान्वित ग्राम कार्य योजना एवं विभिन्न गतिविधियों के लक्षित परिणामों की समीक्षा निम्न सूचकांकों की कसौटी पर की जाएगी। परियोजना पूर्व की स्थिति जो बेस लाईन सर्वे में दर्ज की गई है, के विरूद्ध परियोजना कियान्वयन उपरान्त विभिन्न घटकों में आये परिवर्तन के आधार पर परियोजना की सफलता को मापा जा सकेगा।

"मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" अन्तर्गत कियान्वित की जाने वाली गतिविधियों के मूल्यांकन हेतु प्रमुख सूचकांक निम्नानुसार है :–

1. सिंचित कृषि क्षेत्र में वृद्धि। (कृषि एवं राजस्व विभाग)
2. फसल चक्र में परिवर्तन। (कृषि एवं राजस्व विभाग)
3. गाँव में बाह्य जल स्त्रोतों से जलापूर्ति में कमी आना।(जन स्वास्थ्य अभि. विभाग)
4. अकाल की पुनरावृत्ति में कमी आना। (राजस्व विभाग)
5. कृषि वानिकी, उद्यानिकी पौधों की संख्या में वृद्धि। (कृषि एवं उद्यानिकी विभाग)
6. कृषि ऋण/किसान कार्ड का सामयिक भुगतान। (सहकारिता विभाग)
7. भूगर्भीय जल की गुणवत्ता में सुधार। (जन स्वास्थ्य अभि. विभाग)

8. पशुओं के मौसम आधारित पलायन में कमी।(सर्वे अथवा पशुपालन विभाग)

अभियान के परिणाम (Output)

मिशन में कियान्वित गतिविधियों के लक्षित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न बिन्दुओं पर प्राप्त परिणामों को एक निश्चित समय अन्तराल के उपरान्त दर्ज किया जाएगा एवं उक्त परिणाम कियान्वित कार्य योजना की सफलता को प्रदर्शित करेंगे।

1. जलग्रहण क्षेत्र की मुख्य धारा में अंशतः पानी बहता रहेगा तथा छोटे झरनों के तल में मई–अप्रैल तक पानी का प्रवाह रहेगा।
2. कम से कम 40 प्रतिशत बारानी क्षेत्र (वर्षा आधारित) को सिंचित किया जा सकेगा।
3. मुख्य धाराओं में वर्षा से बहने वाले पानी में गंदलेपन की मात्रा कम होगी।
4. अन्ततः इन गाँवों में अकाल की सम्भावनाओं को नगण्य किया जा सकता है, जिसका अर्थ है भू–जल से गाँवों की समस्त पेयजल आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है एवं गर्मी में भी भू–जल बहुवर्षीय सदाबहार वृक्षों की सिंचाई हेतु उपलब्ध रहेगा।
5. भू–जल स्तर में वृद्धि/गिरते हुए भू–जल स्तर को रोकना।(भू–जल विभाग) जिससे वर्तमान में 30 मीटर पर उपलब्ध भू–जल की 3 मीटर पर उपलब्धता रहेगी।
6. जल आत्म निर्भर ग्राम का निर्माण (टेन्कर आपूर्ति से मुक्त) सूखा/अकाल से मुक्ति हेतु एवं जल का स्थायी समाधान।
7. भू–जल स्तर में वृद्धि एवं गिरते भू–जल स्तर में कमी।
8. सिंचित क्षेत्र में वृद्धि।
9. फसल पद्धति (Cropping Pattern) में बदलाव।

पेयजल योजनाओं में जल उपलब्धता में स्थायित्व।

अभ्यास प्रश्न

(अ) वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की शुरूआत कौन सी दिनांक को की गई।
(अ) 26 जनवरी, 2016 (ब) 27 जनवरी, 2016
(स) 15 अगस्त, 2016 (द) 16 अगस्त, 2016
2. मुख्य सचिव कौन सा समिति का अध्यक्ष होता है।
(अ) टास्क फोर्स (ब) समीक्षा समिति
(स) जिला स्तरीय समिति (द) ब्लॉक स्तरीय समिति
3. राज्य स्तरीय निर्देशन समिति का अध्यक्ष होता है।
(अ) जिला कलेक्टर (ब) राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण के चैयरमेन
(स) मुख्यमंत्री (द) जिला प्रभारी मंत्री
4. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में प्रथम वर्ष में चयनित गाँवों की संख्या है ?
(अ) 2215 (ब) 3529
(स) 4000 (द) 6000
5. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत कार्ययोजना में स्वीकृत कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि है?
(अ) 30 जून (ब) 31 जुलाई

(स) 31 दिसम्बर (द) 31 मार्च

(ब) अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

1. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान का शुभारम्भ मुख्यमंत्री द्वारा कब और कहाँ किया गया ?
2. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत कुल कितने ग्रामों को जोड़ना है ?
3. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत कितनी समितियाँ गठित की गयी है ?
4. ब्लॉक स्तर पर मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान का अध्यक्ष कौन होता हैं?

(स) लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान क्या है ?
2. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत गठित राज्य निर्देशन समिति के क्या कार्य हैं ?
3. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत जलग्रहण क्षेत्र उपचार के लिए चार महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ लिखें।
4. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान टास्क फोर्स के क्या कार्य होते है ?

(द) निबंधात्मक प्रश्न

1. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?
2. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत गठित राज्य निर्देशन समिति के क्या कार्य हैं ?
3. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के सफलता के सूचकांक का उल्लेख करें।
4. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत गाँवों की वरीयता सूची तैयार करने हेतु निर्धारित बिन्दुओं का उल्लेख करें।
5. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के परिणामों के आकलन हेतु निर्धारित बिन्दुओं का उल्लेख करें।

उत्तरमाला– 1. (ब) 2. (अ) 3. (ब) 4. (ब) 5. (अ)